## नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 229.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, (तृतीय श्रेणी) पद भर्ती नियम, 1973, को, जहां तक उनका संबंध सफदरजंग अस्पताल में व्यावसायिक चिकित्सक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल में व्यावसायिक चिकित्सक के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, व्यावसायिक चिकित्सक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक चिकित्सक	9* (2014) *कार्यभार के अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, वेतनमान 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(6)

टिप्पण:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी. उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम चार वर्षीय व्यावसायिक चिकित्सा में बैचलर डिग्री; और
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या अस्पताल में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में एक वर्ष का अनुभव

या

- i किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम दो वर्षीय व्यावसायिक चिकित्सा में डिप्लोमा
- ii किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और लागू नहीं होता

दो वर्ष

(7)

अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

सकेंगी।

टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अविधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना ।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

 अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, —अध्यक्ष

 विभागाध्यक्ष, कायिक औषधि और पुनर्वास, सफदरजंग अस्पताल

—सदस्य

	(12)	
3.	निदेशक उप निदेशक प्रशासन, (आयुर्विज्ञान अस्पताल अनुभाग का	—सदस्य
•	भारसाधक) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	
4.	उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल	—सदस्य

[फा. सं. ए. 11018/03/2014-एम एच-II] संजय पंत, अवर सचिव

## New Delhi, the 27th October, 2014

- G.S.R. 229.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital class III posts Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Occupational Therapist in the Safdarjung Hospital, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Occupational Therapist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2014.
  - (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade payor pay scale.— The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 4. Disqualification. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational Therapist	9* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2: Rs. 9300— 34800 plus grade pay of Rs. 4200	Not applicable	21-30 years (Relaxable for Governmen servants upto five year accordance with th instructions or orders issue by the Central Government)
					Note 1: The crucial date for determining the age-limit shal be the closing date for receip of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunacha Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spit District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).
Educational and direct recruits	l other qualific	ations required for	qualifi direct	ner age and educatications prescriber recruits will apply f promotees	d for if any
(7)			(8)		(9)
(i) Bachelors degree in Occupational Therapy of minimum four years duration from a recognised University or Institute; and (ii) One year experience as Occupational Therapy in a recognised institute or hospital.  or (i) Diploma in Occupational Therapy of minimum two years duration from a recognised University or Institute; and (ii) Three years experience as Occupational Therapist in a recognised Hospital or Institute.  Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission,			Not	applicable	Two years

(7)

for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:- The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for resons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Direct Recruitment

Not applicable

Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
-	(12)		(13)		
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
1.	Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	—Chairman			
2.	Head of Department, Physical Medicine and Rehabilitation, Safdarjung Hospital	—Member	·		
3.	Director or Deputy Director Administration In-charge of Hospital Section, Directorate General of Health Service	Member			
4.	Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	Member	FE. No. A-11018/03/2014-MH II		

[F. No. A-11018/03/2014-MH II]

SANJAY PANT, Under Secy.

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 230.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-2 और श्रेणी-3) भर्ती नियम, 1960 और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-3 भर्ती नियम, 1988 को जहां तक उसका संबंध पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-2 और पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-3 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।